न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,भरतपुर

प्रा.पत्र / 57 / 2023

बैंक ऑफ बडौदा,खरेली शाखा, राजकीय सीनियर सैकण्डरी स्कूल के सामने कठूमर रोड़ खेरली अलवर राज0 जरिये प्राधिकृत अधिकारी

....प्रार्थी / सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1–मैसर्स कमल ईंट उद्योग, गांव खोहरा, पोस्ट नारौली, तहसील वैर जिला भरतपुर
2–श्री कमसिंह पुत्र श्री हकीम सिंह गांव खोहरा, पोस्ट नारौली, तहसील वैर जिला भरतपुर
3–स्व. श्री गोविंद सिंह पुत्र श्री माधोसिंह **जरिये कानूनी वारिस :–**
श्री वलवीर सिंह पुत्र स्व. गोविंद सिंह ।गांव खोहरा, पोस्ट नारौली, तहसील वैर जिला
श्री अजयसिह पुत्र स्व. गोविंद सिंह । भरतपुर राज0
श्रीमती रामकला पत्नी स्व. श्री गोविंद सिंह ।

.....अप्रार्थी ऋणी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रीकनस्ट्रशन ऑफ फाइनान्सियल एसेटस एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ इन्टरस्ट एक्ट 2002 एतद् पश्चात एक्ट से संवोधित किया गया है वंधक संम्पति का कब्जा सुपुर्दगी वावत।

आदेश

दिनांक 18.01.2024

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरुद्व अप्रार्थी0 अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूतिकरण प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत विरुद्व अप्रार्थी0 ऋणी से वंधक सम्पति का कब्जा दिलाये जाने प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी0 ने जरिये करार संख्या 43660500000060 के द्वारा 35.00 लाख रुपये एवं करार संख्या 43660600000863 केक द्वारा 4.00 लाख रुपये कुल ऋण 39.00 लाख रुपये लिया था। उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थीगण ने उक्त ऋण सुविधा की ऐवज में अपनी अचल सम्पत्ति– स्व0 श्री गोविंद सिंह पुत्र माधोसिंह के नाम साम्यिक बंधक व्यावसायिक भूमि जो खसरा नम्बर 426 गांव खेहरा तहसील वैर जिला भरतपुर में स्थित है को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था।

अप्रार्थी0 के द्वारा ऋण राशि एवं ब्याज राशि को समय अवधि में जमा नही कराई गई, जिसके कारण अप्रार्थी / ऋणी के खाता को दिनांक 28–02–2023 को एन.पी.ए.(अनर्जक परिसम्पत्ति) घोषित कर दिया गया। प्रार्थी बैंक के दिनांक 28.02.2023 तक कुल ऋण रुपये 3759949.42 / – (सैंतीस लाख उनसठ हजार नौ सौ उनचास एवं पैसे बयालीस मात्र) रुपये ब्याज एवं अन्य खर्चे अप्रार्थी0 पर बकाया निकलता है। जिसको अप्रार्थी0 ऋणी के द्वारा जमा नहीं कराया गया है। प्रार्थी बैंक द्वारा एक्ट की धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 09–05–2023 अप्रार्थी0 को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किया गया, और उनसे आग्रह किया गया कि वह इस नोटिस की प्राप्ती के 60 दिवस के अन्दर समस्त बकाया रकम को मय ब्याज अदा करें। किन्तु अप्रार्थी0 द्वारा निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी कोई राशि जमा नही की गई है। बैंक द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

.....2

करने के बावजूद भी ऋणी द्वारा ऋण राशि अदायगी नहीं की गई है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ऋण सुविधा प्राप्त करते समय वन्धक रखी गई उपर्युक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिये पुलिस की सहायता उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण ने उक्त प्राप्त सुविधा के ऐवज में अपनी उपर्युक्त सम्पत्ति को प्रार्थी के हक में वंधक किया था व वंधक विलेख निष्पादित किया था। प्रार्थी बैंक द्वारा एक्ट की धारा– 13(2) का नोटिस रजिस्टर्ड दिनांक 09–05–2023 अप्रार्थी0 को वकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किया गया, उक्त नोटिस की निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के वाद भी अप्रार्थीगण द्वारा राशि जमा नहीं की गई हैं। बैंक द्वारा ऋण राशि एवं देय व्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के वावजूद भी अप्रार्थी ऋणी द्वारा ऋण राशि अदायगी नहीं की गई है। बैंक के द्वारा वसूली हेतु सभी तरह के प्रयास के वावजूद राशि नही चुकाने पर अन्तिम रुप से उक्त एक्ट की धारा 14 के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थीया/ऋणी के द्वारा ऋण सुविधा लेते समय वन्धक रखी गई उपर्युक्त अचल सम्पति का कब्जा प्राप्त करने के लिये पुलिस सहायता हेतु निर्देश किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

अतः उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी0 द्वारा प्रार्थी बैंक से ऋण सुविधा लेते समय उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज अचल सम्पत्ति– स्च0 श्री गोविंद सिंह पुत्र माधोसिंह के नाम साम्यिक बंधक व्यावसायिक भूमि जो खसरा नम्बर 426 गांव खेहरा तहसील वैर जिला भरतपुर में स्थित है को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था व वंधक विलेख निष्पादित किया था उसका भौतिक कब्जा लेने हेतु प्रार्थी बैंक को जरिये प्रतिनिधि अधिकृत किया जाता है। निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जावे।

(लोक बंधु)
जिला मजिस्ट्रेट एवं कलक्टर
भरतपुर